सत्र प्रकरण क्रमांक 40/2022
छ.ग. राज्य विरूद्ध ललित राम

Witness No. – 01 – For – **अभियोजन साक्षी** – Deposition taken the 03–02–2023 day of – **शुक्रवार** – Witness's apparent age – 50 – year.

State on affirmation शपथपूर्वक my name is – **बुधनाथ** –

Son/Dou./Wife of – **रोनहा** – Occupation – **कृषि** –

Address – **सा. सरकरा , थाना तुमला , जिला जशपुर (छ.ग.)** –

आरंभ समय–03:00 बजे

1/ मैं न्यायालय उपस्थित आरोपी ललित को पहचानता हूं। मैं गजेन्द्र राम को जानता था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। आरोपी ललित एवं मृतक गजेन्द्र भतीजा हैं।

2/ घटना को लगभग 06 माह हो रही है। गजेन्द्र के साथ में क्या हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है किन्तु शासकीय अस्पताल फरसाबहार में मुझे गजेन्द्र का शव को लेने के लिये बुलाये थे तब मैं गया था जहां से पी०एम० पश्चात शव को हमलोग घर लेकर आये। इसके अलावा घटना से संबंधित मुझे किसी भी बातों की जानकारी नहीं है।

3/ मेरी उपस्थिति में पुलिसवाले शव की कोई जांच पडताल नहीं किये थे किन्तु पंचान नोटिस **प्रदर्श पी–1** के अ से अ भाग पर एवं नक्शा पंचायतनामा **प्रदर्श पी–02** के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

पुलिसवाले मुझसे पुछताछ कर मेरा बयान नहीं लिये है।

नोट– इसी स्तर पर अपर लोक अभियोजक ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के तहत् ऐसे प्रश्न पूछना चाहा जो प्रतिपरीक्षण में प्रतिपक्षी द्वारा पूछे जाते है। विचार उपरांत अनुमति प्रदान की गयी।

4/ यह कहना सही है कि गजेन्द्र की मृत्यु हो जाने के पश्चात पता चलने पर सरपंच प्रेम सागर प्रधान और अन्य ग्रामीणों के साथ मै देखने गया था।

5/ यह कहना गलत है कि मृतक की पत्नी ममता बताई थी कि दिनांक 23.07.2022 को हमलोग पति पत्नी दोपहर का खाना खाकर घर के आगंन तरफ बैठी थी और मेरा पति घर के बरामदा में लेटे थे उसी समय आरोपी ललित राम शराब के नशे में अपने घर से टंगिया लेकर हमारे घर अंदर गया।

6/ यह कहना गलत है कि कुछ समय बाद मेरा पति का चिल्लाने का आवाज आने पर क्या हो गया कहकर दौडते गई तो देखी कि ललित मेरे पति के साथ में मारपीट

कर रहा था तब मैं बीच बचाव करने लगी तब आरोपी ललित टंगिया लेकर वहां से चला गया।

7/ यह कहना गलत है कि ममता ने यह बताया था कि जब मैं मेरे पति से पुछताछ की तब वह बताये कि मैं सो रहा था तब ललित राम आया और अचानक जान से मारने की नियत से मेरा सीना, पेट को टांगी पासा से मारा हैं । आरोपी ललित के द्वारा टांगी पासा से मारने से अंदरूनी चोट लगा है।

8/ यह कहना गलत है कि जब आहत गजेन्द्र को चोट लगने से ज्यादा दर्द होने पर 108 एम्बूलेंस में ईलाज के लिये फरसाबहार अस्पताल लाये थे जहां पर उसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई।

9/ यह कहना गलत है कि मृतक गजेन्द्र और आरोपी ललित राम के बीच घर बटवारा को लेकर पूर्व में भी विवाद हुआ था उसी जमीन बटवारा को लेकर ललित के द्वारा टांगी के पासा से सीना, पेट में मारने से आई अंदरूनी चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई।

10/ यह कहना गलत है कि पुलिसवाले शव की जांच पडताल करने के लिये मुझे पंचान नोटिस दिये थे एवं नक्शा पंचायतनामा में भी दस्तखत कराये थे।

11/ यह कहना गलत है कि आरोपी ललित मेरा भतीजा है जिसे बचाने के लिये आज मै न्यायालय में सही बात को नहीं बता रहा हूॅ।

<u>प्रतिपरीक्षा द्वारा श्री यू०आर० यादव अधिवक्ता वास्ते आरोपी</u>

12/ यह कहना सही है कि मृतक गजेन्द्र राम की मृत्यु के संबंध में पुलिसवाले मुझसे कोई पुछताछ नहीं किये थे।

13/ यह कहना सही है कि गजेन्द्र राम की मृत्यु कैसे हुई इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

14/ यह कहना सही है कि गजेन्द्र राम की मृत्यु कैसे हुई इस संबंध में उसकी पत्नी ममता के द्वारा मुझे कभी भी कोई बात नहीं बताया गया है।

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया।

सही/-

(अजीत कुमार राजभानु)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
कुनकुरी, जिला जशपुर (छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित

सही/-

(अजीत कुमार राजभानु)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
कुनकुरी, जिला जशपुर (छ.ग.)

<u>समाप्ति समय-03:20 बजे</u>

''पूर्वगामी कथन आरोपी की हाजिरी में उनके अधिवक्ता को साक्षी का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर दिये जाते हुए, लिया गया। यह कथन साक्षी को समझाया गया तथा मेरे द्वारा आरोपी एवं उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में प्रमाणित किया गया।''

(अजीत कुमार राजभानु)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कुनकुरी,
जिला जशपुर (छ.ग.)